



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-567/MH/23/2022-ESDW (RU-I)

दिनांक: 28/07/2026.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(वन बल प्रमुख), एम. एस. नागपूर,  
तीसरी मंजिल, वन भवन, रामगिरी रोड,  
सिविल लाइन्स, नागपूर-440001, महाराष्ट्र  
ई-मेल: pccfhoffngp@mahaforest.gov.in

जिलाधिकारी,  
जिला-पुणे,  
जिलाधिकारी कार्यालय,  
स्टेशन रोड,  
पुणे- 411001, महाराष्ट्र  
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,  
जिला-पुणे (ग्रामीण),  
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,  
पुणे (ग्रामीण), महाराष्ट्र  
ई-मेल: sp.pune.r@mahapolice.gov.in

जिला वनाधिकारी (भूमि एवं केम्पा),  
जिला-पुणे,  
मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (प्रादेशिक) पुणे,  
वनभवन भाम्बुरदा वन विहार गोखले नगर,  
पुणे 411016, महाराष्ट्र  
ई-मेल: ccftpune@mahaforest.gov.in

विषय: वनभूमि समूह नं.- 145 और 146 आरक्षित वनों पर अपने जीवनयापन के लिए निर्भर हैं लेकिन उन्हें आज तक भूमि पर उन्हें स्वामित्व नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन करने में समस्याओं के संबंध में श्री मोहन सखाराम माली, उपाध्यक्ष, आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य, लोणी खुर्द, ता.-राहाता, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र का अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.04.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्यवाही के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 21.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूनेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)  
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मोहन सखाराम माली,  
उपाध्यक्ष,  
आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य,  
लोणी खुर्द, तहसील- राहाता, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र  
ई-मेल: sgabss.mhs@gmail.com  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु  
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।